153

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

पत्रांक-15/बि०स०से०-20-02/2011 सा०प्र० 2053 दिनांक- 27.6.11

प्रेषक

अजय कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी आयोग
मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना
महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

विषय:- **बिहार सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों/सहायकों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण।**

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं के राजपत्रित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के अभिलेखन हेतु विस्तृत निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के परिपत्र सं0--7444 दिनांक 30.04.1979 द्वारा संसूचित है तथा इन राजपत्रित पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण पदाधिकारी का निर्धारण भी संकल्प सं0-4561 दिनांक 22.05.1937 द्वारा किया गया है। चूँकि अब बिहार सचिवालय सेवा का गठन हो चुका है इसलिए इस सेवा के पदाधिकारियों एवं सहायकों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन हेतु भी प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण पदाधिकारी के निर्धारण का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था।

2 उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने इस सेवा के पदाधिकारियों/सहायकों के प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण पदाधिकारी के पुनर्निर्धारण का निम्नवत निर्णय लिया है-

सचिवालय के विभागों में (बिहार सचिवालय सेवा के मामले में)

क्र0 सं0	पदाधिकारी का स्तर	प्रतिवेदक पदाधिकारी	समीक्षी पदाधिकारी	स्वीकरण पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सहायक	प्रशाखा पदाधिकारी	कनीय प्रभारी अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव	वरीय प्रभारी उप सचिव/संयुक्त सचिव/सचिव/प्रधान सचिव	
2	प्रशाखा पदाधिकारी	प्रभारी अवर सचिव/उप सचिव	वरीय प्रभारी उप सचिव/संयुक्त सचिव/ अपर सचिव/विशेष सचिव	सचिव/प्रधान सचिव	
3	अवर सचिव	प्रभारी उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव	सचिव/प्रधान सचिव	विभागीय मंत्री	

4	उप सचिव	प्रभारी संयुक्त सचिव / अपर सचिव / विशेष सचिव	सचिव / प्रधान सचिव	विभागीय मंत्री
5	निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर)	विभागीय सचिव / प्रधान सचिव	सचिव / प्रधान सचिव	विभागीय मंत्री

3 सामान्यतः गोपनीय अभ्युक्तियों के अभिलेखन के तीन स्तर निर्धारित किए गए हैं - प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण, जो क्रमशः प्रतिवेदित कर्मी के ठीक ऊपर स्तर के पदाधिकारी होंगे। जहाँ तीसरे स्तर के पदाधिकारी नहीं हो वहाँ कम से कम दो स्तर के पदाधिकारी द्वारा अभिलेखन किया जायेगा।

4 सचिवालय के विभागों से भिन्न अन्य सलग्न कार्यालयों जैसे निदेशालय, आयुक्त कार्यालय, मुख्य अभियंता का कार्यालय, महाधिवक्ता कार्यालय आदि में प्रतिवेदित कर्मी के ठीक ऊपर स्तर के पदाधिकारी क्रमशः प्रतिवेदक पदाधिकारी, समीक्षी पदाधिकारी तथा स्वीकरण पदाधिकारी होंगे।

5 प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अपने अधीनस्थ कर्मियों की गोपनीय अभ्युक्तियाँ अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक समीक्षी पदाधिकारी को अभिलिखित कर एक सूची के साथ समर्पित की जायेगी। समीक्षी पदाधिकारी उसकी समीक्षा कर उक्त तिथि के 15 दिनों के अन्दर अपनी अभ्युक्ति अंकित कर स्वीकरण पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के मई माह तक सभी कर्मियों की गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन पूर्ण हो जाना चाहिए।

6 जब प्रतिवेदक / समीक्षी (कोई एक या सभी) निलंबन, लम्बी छुट्टी / सेवा निवृत्ति, पद त्याग / मृत्यु अथवा अन्य कारणों से लम्बी अवधि तक कार्य देखने की स्थिति में नहीं हों तो प्रतिवेदक शीघ्र गोपनीय अभ्युक्ति समीक्षी / स्वीकरण पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

7 वार्षिक अभ्युक्ति में अंकित की गयी प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ संबंधित पदाधिकारी को अभ्युक्ति प्राप्ति के 3 महीने के अंदर संसूचित करना होगा। अभ्युक्ति का संसूचन विभागीय सचिव / प्रधान सचिव के स्तर से की जाएगी। संसूचन की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर संबंधित पदाधिकारी प्रतिकूल अभ्युक्तियों के विरुद्ध अभ्यावेदन दे सकते हैं। प्रतिकूल अभ्युक्ति के लिए प्राप्त अभ्यावेदन पर निर्णय संबंधित विभाग लेगा।

8. प्रत्येक प्रतिवेदक पदाधिकारी प्रत्येक वर्ष के 31 जुलाई तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देंगे कि उनके अधीनस्थ कार्यरत सभी पदाधिकारियों / कर्मचारियों के पूर्व वर्ष की अभ्युक्तियाँ अंकित की जा चुकी है। ऐसा प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त होने पर संबंधित प्रतिवेदक पदाधिकारी की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों में इस तथ्य को अंकित किया जाएगा।

चारित्री से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र / संकल्प इस हद तक संशोधित माना जाएगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव।